संख्या-813/53-2-2023

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश/
मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2023

विषयः-''नन्द बाबा दुग्ध मिशन'' के अन्तर्गत गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु **''नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना''** के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करती है, जिसके जीविकोपार्जन के मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन क्षेत्र का योगदान 29.3 प्रतिशत है, जो देश के सकल घरेलू जी0डी0पी0 का लगभग 4.35 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश है। यद्यपि प्रदेश, दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है लेकिन प्रदेश में प्रति पशु उत्पादकता कम है। प्रदेश में देशी गायों की उत्पादकता 3.6 कि.ग्रा. प्रतिदिन प्रतिपशु है, जबकि पंजाब एवं हरियाणा में अधिक है। इसी प्रकार भैंसों की उत्पादकता प्रदेश में 5.02 कि.ग्रा. प्रतिदिन प्रति पशु है, जबकि पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में उत्पादकता अधिक है इसका मुख्य कारण प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त दुधारु पशुओं की कमी है। अतः आवश्यकता है कि पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु उन्नत नस्ल के अधिक से अधिक दुधारु गोवंश की इकाईयाँ स्थापित की जायें। पशुपालन विभाग पशुधन के क्षेत्र में विकास हेतु उन्नत पशुपालन संसाधन तथा उन्नत प्रजनन, रोग नियंत्रण, चारा विकास, रोजगार सृजन आदि कार्यक्रम संचालित करता है लेकिन पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता के पशु प्राप्त करने हेतु प्रदेश के बाहर जाना पड़ता है। इसी के दृष्टिगत नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत "नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-290/दुग्ध-9/ नन्द बाबा दुग्ध मिशन/2023-24, दिनांक 21 अगस्त, 2023 के क्रम में एवं पशुधन विभाग उ0प्र0 तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के क्रियान्वयन हेतु सम्यक विचारोपरान्त अनुवर्ती प्रस्तरों में निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

3- **योजना का मुख्य उद्देश्यः**

(i) प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश का संवर्धन।
(ii) पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी।
(iii) प्रदेश में पशुपालकों के लिए उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
(iv) रोजगार के अवसर प्रदान करना।
(v) पशुपालकों की आय को बढ़ाना।

4- योजना का स्वरूपः

(i) प्रथम चरण (2023-24) में प्रदेश के दस मण्डल मुख्यालयों के जनपदों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा एवं बरेली में संचालित की जायेगी।

(ii) प्रथम चरण में प्रदेश में 25 दुधारू गायों की 35 इकाईयां स्थापित की जायेंगी।

(iii) दुधारू गायों में साहीवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी प्रजाति की गायें ही सम्मिलित की जायेंगी। परन्तु गंगातीरी नस्ल के गोवंशवाली इकाईयों में अधिकतम पांच गंगातीरी गोवंश अनुमन्य होंगे।

(iv) परियोजना के वित्तीय उपाशय का आंकलन गोवंश क्रय एवं अवस्थापना पर व्यय **(संलग्नक-1)** तथा इकाई संचालन पर व्यय **(संलग्नक-2)** के अनुसार निर्धारित किया गया है।

(v) परियोजना के दो विकल्प होंगेः

(क) लागत रु. 62,50,000 साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 25 गोवंश हेतु रू. 100000 प्रति गोवंश के आधार पर आगणन किया जायेगा।

(ख) लागत रु. 61,00,000 साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 20 गोवंश के साथ-साथ गंगातीरी नस्ल के अधिकतम 5 गोवंश। गंगातीरी गोवंश क्रय का मूल्य रू. 70,000 प्रतिगोवंश के आधार पर आंगणित किया जाएगा तथा साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल की गायों का आगणन रू.100000 प्रतिगोवंश के आधार पर किया जायेगा।

(vi) कुल अनुदान परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगाः

(क) रू. 31,25,000 (साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 25 गोवंश) इकाई के लिए।

(ख) रू. 30,50,000 (साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 20 गोवंश के साथ-साथ 5 गंगातीरी नस्ल की गायों हेतु)।

5- वित्त-पोषणः

(i) इकाई की स्थापना हेतु लाभार्थी अंश, बैंक द्वारा ऋण तथा अनुदान परियोजना लागत का क्रमशः 15 प्रतिशत, 35 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत होगा।

(ii) परियोजना का आकलन अनुमान पर आधारित है तथा औसत दर से तैयार किया गया है। परियोजना लागत में अतिरिक्त व्यय लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। अनुदानित धनराशि निम्नानुसार होगी:

(क) अधिकतम रू. 31,25,000 (साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 25 गोवंश) इकाई के लिए।

(ख) अधिकतम रू. 30,50,000 (साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 20 गोवंश के साथ-

साथ 5 गंगातीरी नस्ल के गोवंश) इकाई के लिए।

(iii) अनुदान की प्रक्रिया :

(1) प्रथम चरण में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान (आधारभूत संरचना तैयार होने व सत्यापन के पश्चात) लाभार्थी के खाते में निम्नानुसार देय होगीः

(क) रु. 15,62,500 (साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 25 गोवंश) इकाई के लिए।

(ख) रू. 15,25,000 (साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर नस्ल के 20 गोवंश के साथ-साथ गंगातीरी नस्ल के 5 गोवंश)

(2) द्वितीय चरण में परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत परियोजना अन्तर्गत 25 दुधारु गोवंश के नियमानुसार क्रय व सत्यापन के पश्चात लाभार्थी के खाते में निम्नानुसार देय होगी-

(क) रु. 7,81,250.00

(ख) रू. 7,62,500.00

(3) तृतीय चरण में परियोजना लागत का 12.5 प्रतिशत परियोजना अन्तर्गत 25 दुधारु गोवंश में से 10 संतति उत्पन्न होने व सत्यापन के पश्चात लाभार्थी के खाते मे निम्नानुसार देय होगीः

(क) रू. 7,81,250.00

(ख) रू. 7,62,500.00

(4) साहीवाल अथवा गिर अथवा थारपारकर के एक ब्यांत चक्र में लगभग 3000 लीटर एवं गंगातीरी में 2100 लीटर दुग्ध उत्पादन क्षमता के गोवंश अनुमन्य होगें।

6- विवाद निस्तारणः

यदि इकाई स्थापित करने के दौरान लाभार्थी एवं राज्य सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा जिलाधिकारी का निर्णय ही अन्तिम माना जायेगा।

7- क्रय प्रक्रियाः

इस हेतु समस्त विधिक औपचारिकतायें एवं अभिलेखों का रख-रखाव लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(i) गोवंशों का क्रय प्रदेश के बाहर से यथासंभव उस नस्ल के ब्रीडिंग ट्रैक्ट से किया जायेगा।

(ii) गोवंशों की इयर टैगिंग होना अनिवार्य है।

(iii) क्रय किये गये समस्त गोवंश का बीमा कराया जाना आवश्यक है।

(iv) गोवंश का क्रय हेतु आवश्यक मापदण्डः-

(क) इकाई की स्थापना हेतु साहीवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी के गोवंश का चयन एवं क्रय लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। गंगातीरी नस्ल की अधिकतम 05 गायें प्रति इकाई रखी जायेंगी परन्तु साहीवाल, गिर एवं थारपारकर की इकाईयों में एक ही नस्ल की 25 गायें अथवा मिश्रितरूप से गायें रखी जा सकेंगी।

(ख) गोवंश का क्रय प्रदेश के बाहर से यथासंभव चयनित नस्ल के ब्रीडिंग ट्रैक्ट से ही किया जायेगा। इयर टैगिंग एवं गोवंश क्रय की रसीद(रवन्ना) होना अनिवार्य है।

(ग) क्रय किये जाने वाले गोवंश प्रथम या द्वितीय ब्यांत के होने चाहिये तथा दुग्ध उत्पादन गायों में प्रति गोवंश प्रतिदिन उस नस्ल के औसत उत्पादन से कम न हो।

(घ) क्रय किये जाने वाले गोवंश डेढ़ माह से पूर्व ब्याये हुए न हो।

(च) क्रय के समय सभी गोवंश रोग मुक्त एवं स्वस्थ्य होने चाहिये।

(v) जनपद स्तर पर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी अथवा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

8- लाभार्थी का चयनः

(i) लाभार्थी की पात्रताः-

(क) लाभार्थी स्थानीय निवासी होना चाहिए।

(ख) लाभार्थी का आधार कार्ड अथवा पहचान पत्र होना चाहिए।

(ग) गोपालन अथवा महिष पालन का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिए तथा इसका प्रमाण सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया हो।

(घ) इकाई स्थापना हेतु लगभग 0.5 एकड़ भूमि आवश्यक होगी।

(च) इसके अतिरिक्त लगभग 1.5 एकड़ की भूमि चारा उत्पादन हेतु स्वयं की अथवा पैतृक/ साझेदारी अथवा न्यूनतम 07 वर्षो के लिए पंजीकृत अनुबंध पर ली गयी हो तथा भूमि परियोजना के अनुकूल (जलभराव इत्यादि से मुक्त) हो।

(छ) पूर्व में संचालित कामधेनु अथवा मिनी कामधेनु अथवा माइक्रो कामधेनु योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नही दिया जा सकेगा।

(ii) लाभार्थी का चयन, प्राप्त आवेदन आनलाईन अथवा आफलाइन के माध्यम से, किया जायेगा, जिसकी हार्डकापी सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा ई-लाटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

(iii) लाभार्थी की चयन समिति इस प्रकार होगी-

मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	संयोजक सचिव
लीड बैंक ऑफिसर	सदस्य
उप दुग्धशाला विकास अधिकारी	सदस्य

9- सत्यापन एवं अनुश्रवण:

(i) सत्यापन समिति-सत्यापन हेतु गठित समिति में सम्बन्धित उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी तथा पशुधन प्रसार अधिकारी होंगे। उक्त समिति द्वारा इकाईयों का सत्यापन विभिन्न चरणों के पूर्ण होने पर किया जाएगा तथा इसकी सूचना जनपद स्तरीय समिति को दी जायेगी।

(ii) सत्यापन समिति की अनुशंसा पर जनपद स्तरीय समिति (मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लीड बैंक ऑफिसर एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी) द्वारा स्थापित इकाईयों हेतु अनुदान राशि की मांग मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन को प्रस्तुत की जायेगी।

(iii) जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का संयुक्त बचत खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा।

(iv) मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा मांग के अनुरूप धनराशि जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त बचत खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

(v) सत्यापन समिति द्वारा सत्यापनोपरान्त प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अनुशंसा के अनुसार अनुदान धनराशि जनपद स्तरीय मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त खाते से लाभार्थी के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी।

(vi) मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त खाते में अर्जित ब्याज की धनराशि मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पक्ष में वापस की जायेगी।

(vii) जनपद स्तर से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग के स्तर पर अनुश्रवण एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा एवं इस संबंध में मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन को भी अवगत कराया जाएगा।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में **"नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना"** के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

Signed by डा0 रजनीश दुबे
(डा0 रजनीश दुबे) Date: 24/08/2023 14:50:12
अपर मुख्य सचिव Reason: Approved

संख्याः- 813(1)/53-2-23, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी सचिव, मा0 दुग्ध विकास मंत्री, उ0प्र0 शासन।

(2) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(3) निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास, खाद्य प्रसंस्करण विभाग,उ0प्र0 शासन।

(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश।

(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संलग्नक- 1

25 दुधारू गोवंश की एक इकाई की लागत

(अ) पशु क्रय पर व्यय			
क्र0 सं0	पशु क्रय पर व्यय	विकल्प (क) साहीवाल, थारपारकर अथवा गिर नस्ल के 25 गोवंश (रु0 1,00,000 प्रति गोवंश)	विकल्प (ख) साहीवाल, थारपारकर अथवा गिर नस्ल के 20 गोवंश (रु0 1,00,000 प्रति गोवंश) एवं 05 गंगातीरी रु0 70,000 प्रति गोवंश
1	25 दुधारू गोवंश (साहीवाल, गिर, गंगातीरी एवं थारपारकर)	रु0 25,00,000.00	रु0 23,50,000.00
2	गोवंश बीमा 3 वर्ष हेतु		
3	गोवंश यातायात पर व्यय		

(ब) पशु आवास (कैटिल शेड) पर व्यय			
क्र0सं0	पशुआवास (कैटिल शेड) पर व्यय	विकल्प (क)	विकल्प (ख)
1	वयस्क गोवंश हेतु 50 वर्ग फुट प्रति पशु रू0 800.00 प्रति वर्ग फुट की दर से (25 पशुओं के लिए)	रू0 10,00,000.00	रू0 10,00,000.00
2	हीफर शेड/काफ शेड 30 वर्ग फुट प्रति हीफर रू0 800.00 प्रति वर्ग फुट की दर से (25 हीफर के लिए)	रू0 6,00,000.00	रू0 6,00,000.00
3	फीड गोडाउन (12 X 20वर्ग फुट) रू0 800.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रू0 1,92,000.00	रू0 1,92,000.00
4	मिल्क रूम (10 X 15वर्ग फुट) रू0 1626.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रू0 2,43,900.00	रू0 2,43,900.00
5	श्रमिक कक्ष (अटैच्ड बाथरुम) (10 X 15वर्ग फुट) रू0 1547.00 प्रति वर्ग फुट की दर से	रू0 2,32,050.00	रू0 2,32,050.00
6	चैफ कटर शेड (10 X 10 वर्ग फुट) रू0 515.00 प्रति वर्गफुट की दर से	रू0 51,500.00	रू0 51,500.00
7	कैटल क्रस शेड (10 X 10वर्ग फुट) रू0 515.00 प्रति वर्ग फुट की दर	रू0 51,500.00	रू0 51,500.00
	योग	रू0 23,70,950.00	रू0 23,70,950.00

(स) उपकरण			
क्र०सं०	उपकरण	विकल्प (क)	विकल्प (ख)
1	सोलर पावर जनरेशन सिस्टम	रू0 3,50,000.00	रू0 3,50,000.00
2	जेट सबमर्सिबल पम्प	रू0 63,000.00	रू0 63,000.00
3	पानी टंकी 2000 ली0 क्षमता	रू0 11,000.00	रू0 11,000.00
4	पावर चैफ कटर	रू0 1,00,000.00	रू0 1,00,000.00
5	बी0एम0सी0(300 लीटर क्षमता)	रू0 1,50,000.00	रू0 1,50,000.00
6	दूध प्रसंस्करण मशीने (खोया पनीर बनाने वाले उपकरण इत्यादि)	रू0 1,60,000.00	रू0 1,60,000.00
7	मिनी ट्रैक्टर	रू0 2,50,000.00	रू0 2,50,000.00
8	हाईड्रालिक ट्राली	रू0 80,000.00	रू0 80,000.00
9	ट्रैक्टर माउन्टेड मान्योर स्क्रैपर	रू0 40,000.00	रू0 40,000.00
10	मिल्क केन्स	रू0 10,000.00	रू0 10,000.00
11	वेइंग मशीन	रू0 5,000.00	रू0 5,000.00
12	मिल्किंग मशीन-1	रू0 80,000.00	रू0 80,000.00
13	मेजरिंग किट-2 एंव मिल्क बकेट-2	रू0 2,000.00	रू0 2,000.00
14	केटिल क्रस	रू0 8,000.00	रू0 8,000.00
15	वील बैरो ट्राली-2/रु0 5000 प्रति	रू0 10,000.00	रू0 10,000.00
16	वर्मी कम्पोस्ट इकाई	रू0 40,000.00	रू0 40,000.00
17	अन्य व्यय	रू0 20,000.00	रू0 20,000.00
	योग	**रू0 13,79,000.00**	**रू0 13,79,000.00**
	इकाई की कुल लागत (अ+ब+स)	**रू0 62,49,950.00 अर्थात 62.50लाख**	**रू0 60,99,950.00 अर्थात 61.00लाख**
	लाभार्थी अंश (इकाई लागत का 15 प्रतिशत)	**रू0 9,37,500.00**	**रू0 9,15,000.00**
	बैंक ऋण (इकाई लागत का 35 प्रतिशत) नोटः-बैंक ऋण की प्रक्रिया लाभार्थी के द्वारा पूर्ण की जायेगी।	**रू0 21,87,500.00**	**रू0 21,35,000.00**
	50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि	**रू0 31,25,000.00**	**रू0 30,50,000.00**

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-2

इकाई संचालन पर व्यय

25 गोवंश पर एक दिन के लिए चारे एवं दाने पर होने वाला व्यय:-

क्र० सं०	विवरण	दुग्धकाल		शुष्ककाल	
		कि0ग्रा0	धनराशि रू0 मे	कि0ग्रा0	धनराशि रू0 मे
1	हरा चारा	500	1250	250	625
2	सूखा चारा	125	1250	150	1500
3	पशु दाना	100	2500	25	625
	कुल	**725**	**5000**	**425**	**2750**

25 गोवंश एवं उनके फालोवर पर एक वर्ष में चारा एवं दाना पर होने वाला व्यय

क-प्रथम वर्ष में दुग्धकाल 250 दिवस एवं शुष्ककाल 115 दिवस आंकलित है।

ख-द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं पंचम वर्ष में दुग्धकाल 280 दिवस एवं शुष्ककाल 85 दिवस आंकलित है।

ग-गोवत्सों के आहार का एक वर्ष हेतु औसत व्यय का आंकलन रू0 50 प्रतिदिन किया गया है।

(धनराशि रू0 में)

क्र० सं०	विवरण	वर्ष				
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
1	हरा चारा	3,84,375	4,03,125	4,03,125	4,03,125	4,03,125
2	सूखा चारा	4,85,000	4,77,500	4,77,500	4,77,500	4,77,500
3	पशु दाना	6,96,875	7,53,125	7,53,125	7,53,125	7,53,125
4	गोवत्सों के आहार पर व्यय, रू0 50 प्रतिदिन	4,56,250	4,56,250	4,56,250	4,56,250	4,56,250
	योग	20,22,500	20,90,000	20,90,000	20,90,000	20,90,000

आवर्ती व्यय वर्ष (धनराशि रू0 में)							
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	योग
2.1	गोवंश आहार चारे पर व्यय	20,22,500	20,90,000	20,90,000	20,90,000	20,90,000	1,03,82,500
2.2	गोवंश चिकित्सा पर व्यय	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	1,25,000
2.3	03 श्रमिक/ दैनिक मजदूरी रू0 400 प्रतिदिन की दर से	4,38,000	4,38,000	4,38,000	4,38,000	4,38,000	21,90,000
	योग	24,85,500	25,53,000	25,53,000	25,53,000	25,53,000	1,26,97,500

25 दुधारू गोवंश से वर्षवार प्राप्त दूध लीटर में एवं दूध विक्रय से प्राप्त धनराशि का विवरण

क्र० सं०	वर्ष	25 गायों का कुल वर्ष वार लैक्टेशन दिवस	कुल दुग्ध उत्पादन 10 लीटर प्रति गोवंश प्रति दिवस की दर से	वर्षवार कुल विक्रय मूल्य (प्रथम वर्ष में रू0 45 प्रति ली0 तथा आगामी वर्षों में रू0 1 प्रति ली0 प्रति वर्ष की वृद्धि दर से धनराशि रू0 में)
1	प्रथम	6,250	62,500	28,12,500
2	द्वितीय	7,000	70,000	32,20,000
3	तृतीय	7,000	70,000	32,90,000
4	चतुर्थ	7,000	70,000	33,60,000
5	पंचम	7,000	70,000	34,30,000

(धनराशि रू0 में)

क्र० सं०	आय-विवरण	वर्ष					योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	
1	उत्पादित दूध विपणन से आय	28,12,500	32,20,000	32,90,000	33,60,000	34,30,000	1,61,12,500
2	खाद की बिक्री से आय (दर रू0 8000.00 प्रति गोवंश/प्रति वर्ष)	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	10,00,000
3	15 मादा संतति के विक्रय से आय रु0 15000/मादा संतति (द्वितीय वर्ष से)	-	2,25,000	2,25,000	2,25,000	2,25,000	9,00,000
	कुल आय	30,12,500	36,45,000	37,15,000	37,85,000	38,55,000	1,80,12,500
	(-)कुल आवर्ती व्यय	24,85,500	25,53,000	25,53,000	25,53,000	25,53,000	1,26,97,500
	शुद्ध लाभ (रू0)	5,27,000	10,92,000	11,62,000	12,32,000	13,02,000	53,15,000

प्रोजेक्ट वायबिलिटी

(धनराशि रू0 में)

क्रमांक	पूंजीगत व्यय विवरण	विकल्प (क)	विकल्प (ख)
1	गोवंश आवास निर्माण व्यय	23,70,950	23,70,950
2	आवश्यक उपकरण औजार खरीद	13,79,000	13,79,000
3.1	25 दुधारू गोवंश का क्रय	25,00,000	23,50,000
3.2	गोवंश बीमा तीन वर्ष हेतु		
3.3	गोवंश यातायात पर व्यय		
योग		62,49,950 अर्थात 62.50 लाख	60,99,950 अर्थात 61.00 लाख

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।